जिला धार म0प्र0। (30)

न्यायालय माननीय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0।
PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2017/3581

शोभाबाई पति माधवसिंह जाति भीलाला आयु 50 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम सोनगाव पोलिस थाना बाग चौकी
डहरी तह गंधवानी जिला धार म0प्र0। --- निगरानीकर्ता

बनाम

1— श्रीमती सुशीलाबाई पति स्व0 छगन जी जाति कुलमी आयु 65 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम सोनगाव तह गंधवानी
2— गणेश पाटीदार पिता स्व0 छगन जाति कुलमी आयु 38 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम सोनगाव तह गंधवानी
3— रमेश पाटीदार पिता स्व0 छगन जाति कुलमी आयु 40 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम सोनगाव तह गंधवानी
4— सुरेश पाटीदार पिता स्व0 छगन जाति कुलमी आयु 35 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम सोनगाव तह गंधवानी जिला धार
5— जगदीश पिता स्व छगन जाति कुलमी आयु 41 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम सोनगाव तह गंधवानी जिला धार
6— कांजीलाल पिता धनिया जाति बलाई निवासी ग्राम सोनगाव
तह गंधवानी जिला धार म0प्र0।
7— सावित्री पति शिवजी जाति बलाई निवासी ग्राम सोनगाव
तह गंधवानी जिला धार म0प्र0। --- विपक्षीगण

(हस्तलिखित: दिनांक 28-9-17 को ... O.P. Sharma 28-9-17; 3-10-17)

::निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भु0रा0सं0 1959 अनुसार ::
" यह निगरानी अर्ज विद्वान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील गंधवानी जिला धार के राजस्व प्रकरण कं— 5/2.016—2017/अ—70 मे पारित आदेश दिनांक 18-9-17 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। "

मान्यवर महोदय,

सेवा मे अपीलांट तर्फे अत्यंत नम्रता से निवेदन है, कि :—

:: प्रकरण के तथ्य ::

1— यह कि विपक्षी सुशीलाबाई द्वारा ग्राम सोनगाव तहसील गंधवानी की भुमी सर्वे नं— 386 रकबा 1.133 है0, भुमी का सीमाकंन करवाने बाबद सर्वप्रथम आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय तहसील मनावर मे प्रस्तुत किया था जिस पर से आदेश हुआ था और पटवारी और राजस्व निरिक्षक महोदय नेसीमाकंन किया था जो रास्ता तीमेडा व अन्य स्थाई चिन्हो को स्थाई मानकर सीमाकंन किया था।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा/2017/3581

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	